भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

23.06.2023

जीवन बीमा उत्पादों का अनुमोदन सरल किया गया है

Life Insurance products approvals made easy

– `यूज़ एण्ड फाइल' के अंतर्गत यूलिप और मिश्रित (काम्बी) उत्पाद

– ULIP and Combi products under 'Use & File'

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने उक्त `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया का विस्तार सामूहिक यूनिट-सहबद्ध बीमा उत्पादों, वैयक्तिक यूनिट-सहबद्ध बीमा उत्पादों जिनका प्रस्ताव नई निधियों के साथ किया जाता है तथा मिश्रित उत्पादों जिनमें जीवन बीमाकर्ता अग्रणी के रूप में कार्य करता है, के लिए किया है।

अब जीवन बीमाकर्ता व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करते हुए और बाजार की माँगों के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए ये उत्पाद पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे उक्त उत्पादों में नवोन्मेषण को बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह अक्तूबर 2022 में `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया का विस्तार सभी सावधि बीमा उत्पादों, वर्तमान निधियों से युक्त वैयक्तिक यूनिट-सहबद्ध उत्पादों और असंबद्ध सामूहिक बीमा उत्पादों के लिए करने के बाद लागू किया जाता है।

Insurance Regulatory and Development Authority of India has extended the 'Use and File' procedure to Group Unit-Linked Insurance products, Individual Unit-Linked Insurance products which are offered with new funds and Combi products wherein Life Insurer acts as the lead.

Now, the life insurers can launch these products without prior approval, enhancing ease of doing business and encouraging swift response to the market demands. This will boost innovation in the products resulting in better choices for the customers.

This comes after the extension of 'Use & File' procedure for all Term Insurance products, Individual Unit linked products with existing funds and Non-Linked Group Insurance products in October, 2022.

***